(क) क्या सरकार को जानकारी है कि युवा और नाबालिग लड़कियों एवं लड़कों को कई गिरोहों द्वारा अनैतिक कार्यों के लिये विदेशों में बेचा जा रहा है; और

(ख) इन गिरोहों को पकड़ने के लिये सरकार ने जो कारगर कदम उठाये हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क): अनैतिक गतिविधियों के लिए युवा और नाबालिग लड़कियों और लड़कों को विदेश में बेचने की घटनाओं की सूचना मिली है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो(एन सी आर बी) द्वारा केन्द्रीकृत रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं रख जाती है।**

**(ख): ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय होने की वजह से, मानव व्यापार के अपराध को रोकने और उसका सामना करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार ने अवैध मानव व्यापार से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में अवैध व्यापार रोधी नोडल सेल स्थापित करके, गृह मंत्रालय की भागीदारी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्‍वविद्यालय (इग्नु) द्वारा अवैध मानव व्यापार रोधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरु करके और स्वीकृत अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सुदृढ़ता से कानून लागू करने हेतु विस्तृत स्कीम कार्यान्वित करके और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 में 115 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु 8.72 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 104 इकाइयाँ पहले ही स्थापित कर दी गई है। 110 और अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2011-12 में 8.338 करोड़ रूपए जारी कए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी अवैध व्यापार से पीड़ित महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों से जूझने वाली महिलाओं के लिए लघु अवधि आवास (शार्ट-स्टे-होम), स्वाधर होम जैसे आश्रय आधारित होम चला रहा है।**